27/6/19 अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित प्रा. पत्र मतवाई निषेधाज्ञा
बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 11/07/19 को
पत्रावली पेश हो।

11/7/19 अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित समय अभाव के
कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका पत्रावली
वास्ते आदेश T.I दिनांक 19/07/19 को पेश हो।

19/7/19 पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
पर दोनों पक्षों को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु तीन मुख्य बिन्दुओं
पर मनन किया गया। प्रार्थी गण ने अपने प्रार्थना
पत्र में अंकित किया है कि वाद ग्रस्त आराजी हाल
ख.नं. 374 रकबा 0.62 है साबिक ख.नं.
1050, रकबा 7 बिस्वा साबिक तह 214 रकबा
2 बीघा 7 बिस्वा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की
पैतृक कब्जे काश्त की स्वामित्व की भूमि रही है
क्योंकि शिकमी जोता चन्द्रमा s/o गंगाराम व जमीन
जागीरदार रहा है वादी एवं प्रतिवादी गण चन्द्रमा
के ही हिन्दु वारिशान है धारा 19 राजस्थान
टैनेन्सी एक्ट के तहत चन्द्रमा को ही कानूनन अधिकार
हासिल हो चुके थे परन्तु प्रजाती लालजी
कि अप्रार्थी जं. 1 लगायत 12 के पिता परपिता
के नाम विधि विरुद्ध अंकन करा लिया गया
वाद पत्र में दस्तावेजात से प्रार्थीगण का प्रकरण

प्रथम द्रष्टया सिद्ध होता है वाद ग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के हक अधिकारी के विरुद्ध खुर्द बुर्द हो जाने अवाप्ती स्वरूप मुआवजा नहीं मिलने की सूरत में प्रार्थीगण को भारी पूर्ण क्षति होगी। अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में भारी है सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के मुकाबले भारी है।

अतः प्रार्थीपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आराजी खि.नं. 1050 तन मौजा माडासेज प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि दावे के निर्णय तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल दाजी उत्पन्न न करें आराजी का रहन व बेचान नहीं करें अप्रार्थी सं. 15 को देय भूमि मुआवजा तां फैसला वाद पत्र अवाप्ती अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा नहीं करें।

निर्णय सुनाया गया पत्रावली हस्ब मिसल वाद पत्र हो।

[signature]

न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोंक (stamp)

31/7/19	अप्रार्थी सं. 15 (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के अधिवक्ता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 152 ... का पेश किया पत्रावली तलब होकर पेश हुई अप्रार्थी सं. 15 के अधिवक्ता को सुना ... [signature]

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम दौसा

हनुमान वगै. बनाम धन्नी वगैं

किस्म मुकदमा T.I नं. 10/2019 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार 31/7/19	अप्रार्थी स० 15 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थना पत्र 152 जा. दी.–दिनांक 31/07/19 स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी स० 15 जा० दी० प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 19/07/19 के द्वितीय पैरा स० 2 की चतुर्थ पंक्ति में अप्रार्थीगण के पश्चात (लगायत 12 पढ़ा जावे। एवं अप्रार्थी स० 15 को निर्माण कार्य पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। [signature] सहायक कलेक्टर दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2019.11.14 11:07:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: